डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. देवीसिंह
2. परवतसिंह

पिसरान श्री अजीराम जाति जाट निवासी पौंछडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———वादीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर
3. डी.एफ.ओ., कार्यालय डी.एफ.ओ. करौली राजस्थान ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक, **मुकदमा नं0 206/2011**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक विवादित आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 21.62 है0 किस्म गै0मु0 बेहड वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.11.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 206/2011 तारीख रजू:—23.12.2011

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. देवीसिंह
2. परवतसिंह

पिसरान श्री अजीराम जाति जाट निवासी पौंछडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———वादीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर
3. डी.एफ.ओ., कार्यालय डी.एफ.ओ. करौली राजस्थान ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

2. श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी सं03

निर्णय

दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादीगण ने दावा बाबत इस्तकरार हक विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 168 मिन रकबा 1 बीघा, ग्राम पोंछडी तहसील हिण्डौन मे सेटिलमेन्ट से पूर्व स्थित रहा है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि उक्त खसरा नम्बर वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात से लगवां स्थित होने के कारण तथा सरकारी भूमि सिवायचक रेवन्यू रिकोर्ड में दर्ज होने के कारण जमाने बुजुर्गान से वादीगण का उक्त जमीन के एक बीघा रकबे पर कब्जा काश्त होने के फलस्वरूप दौराने राजस्व अभियान ग्राम पंचायत मोठियापुरा पंचायत हेड क्वाटर पर वादीगण को श्रीमान मू—आबंटन अधिकारी तत्कालीन एस.डी.ओ. राजस्व शिविर इन्चार्ज तहसील हिण्डौन द्वारा दि. 9.6.1989 को 1 बीघा जमीन का आबंटन कर दिया गया कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

काश्त पूर्व में ही वादीगण का रहा है। जिसके चलेते विधिवत कब्जा वादीगण करवा दिया है। और वादीगण लगातार फसल दर फसल व साल दर साल काश्त करते चले आ रहे है। और उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 461 ता 464 का ही एक भाग है, और वह भाग रेवन्यू सीट में प्रदर्शित . भाग है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सरकारी कर्मचारियो की गलती से वादीगण के नाम उक्त जमीन की खातेदारी दर्ज नही कर उक्त जमीन को मौजूदा ख0नं0 406 रकबा 22.60 हैक्टर में शामिल करते हुऐ किस्म जमीन सेटिलमेन्ट द्वारा बारानी अब्बल के स्थान पर गैर मुमकिन बीहड दर्ज कर दिया है। वादीगण की खातेदारी की जमीन रेवन्यू रिकोर्ड में दर्ज नहीं की है। जिसका सेटिलमेन्ट विभाग व अन्य सरकारी कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये वादीगण भूखण्ड जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है, की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि वादीगण ग्रामीण परिवेश के बिना पढे लिखो कृषि पेशा व्यक्ति है। जिन्हें सेटिलमेन्ट की गलती का कोई पता इस दौरान नही चला दिनांक 01.12.2011 को हल्का पटवारी द्वारा सीट मौजूदा ग्राम पौंछडी देखते समय सेटिलमेन्टक की उक्त गलती का अहसास करवाने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 2 से सम्पर्क किया, तो उन्होनें साफ तौर पर कहा कि सक्षम अदालत से खातेदारी करवा लो, अन्यथा हम तुम्हें बेदखल कर देंगे। इस प्रकार दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 1. 12.2011 को प्रतिवादी नं० 2 द्वारा जमीन की खातेदारी वादीगण के नाम करने से मना करने पर बमुकाम ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा निवास फरीकेन व स्थित भूमि विवादग्रस्त की दृष्टि से दावा की सुनवाई एवं समाअत का अधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 88 के तहत पेश किया गया है।

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित न्याय शुल्क अदा की गयी है।

वाद पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है ।

वाद पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा दायर करने से पूर्ण कानूनन धारा 80 जा. दी. के तहत कार्यवाही नोटिस अमल में लाया जाना न्याय संगत है। मगर मुकदमा हाजा मोस्ट अरजेन्ट नेचर का है। इसलिऐ नोटिस देकर बाद मियाद नोटिस वाद दायर करने पर मुकदमा दायर करने का मकसद ही फौत होने की संभावना है। इसलिये कार्यवाही नोटिस सस्पेण्ड फरमाई जाकर मुकदमा दायर करने की इजाजत प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। धारा 80(2) जाडता दीवानी की प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत की गयी है।

वाद पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करते है :–

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11(क) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जाये कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 168 मिन रकबा 1 बीघा जिसे अब खसरा नम्बर 406 रकबा 22.60 हेक्टर में शामिल कर बारानी अब्बल से गैरमुमकिन बीहड दर्ज कर दिया है। नक्शा में प्रदर्शित स्थान बरंगलाल का अलग से खसरा नम्बर 406/1 रकबा 25 ऐअर कायम कर खातेदारी वादीगण बहिस्सा बराबर कायम करने की कृपा करें।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11(ख) में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो न्याय संगत करीने इन्साफ बहक वादीगण पाई जावे वह भी अता फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.07.2012 को प्रतिवादी सं01 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं03 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबावदावा पेश कर जबाव दावा के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 1 में साबिक खसरा नम्बर 168 रकबा 1 बीघा ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार नहीं है। क्योंकि खसरा नम्बर 168 का रकबा काफी लम्बा चौडा था और करीब रकबा 80 बीघा का था।

जबाव दावा के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 2 गलत है स्वीकार नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 168 वादीगण की आराजीयात से लगवा स्थित नहीं है और नाही आज है। शुरू से ही उक्त जमीन चारागाह के रूप में दर्ज है। उक्त जमीन पर वादीगण का एक बीघा या अन्य किसी रकबे पर कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं रहा है। राजस्व अभियान के तहत ग्राम पंचायत मोठियापुर के हैडक्वाटर पर उक्त जमीन एसडीओ हिण्डौन द्वारा राजस्व शिविर के दौरान दिनांक 09.06.1989 को आबंटित नहीं की गई। और नाही एसडीओ हिण्डौन को चरागाह जमीन को आबंटित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार हांसिल नहीं था। जब वादीगण को उक्त खसरा नम्बर को एक बीघा जमीन आबंटित ही नहीं की गई तो वादीगण का कब्जा कराने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस उक्त जमीन पर वादीगण का आज दिन तक कब्जा नहीं रहा और नाही एक बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी को आराजीयात 461 लगायत 464 का भाग नहीं है। रेवन्यू सीट में भी अलग से नहीं दर्शाया गया है। यानि उक्त मद में वादीगण ने समस्त बातें कतई कपोल कल्पित व झूठी दर्ज की है।

जबाव दावा के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 3 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने मौके पर जाकर इसका नया नम्बर 406 रकबा 22.60 हेक्टर गैर मुमकिन बीहड सही दर्ज किया है। उक्त एक बीघा जमीन को वादीगण की खातेदारी में रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादीगण एक बीघा भूमि की खातेदारी अपने हक में कराने का कोई अधिकार नहीं रखते है। अगर वादीगण की उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बातें सत्य थी तो तहसील हिण्डौन में सेटिलमेन्ट का कार्य पूर्ण हुऐ करीब 25 साल हो चुके है और आज दिन तक वादीगण ने उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिए प्रतिवादी नं. 1 को कोई नोटिस नहीं दिया और नाही कोई कार्यवाही की और 25 साल बाद वादीगण ने उक्त दावा कतई गलत पेश कर दिया जो किसी भी सूरत में डिक्री किये जाने योग्य नहीं है। दावा हाजा म्याद बाहर पेश किया है।

जबाव दावा के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में वादीगण ने समस्त बातें गलत दर्ज की हैं। वादीगण पढे लिखे व होशियार आदमी है। उक्त मद में वादीगण का यह दर्ज करना कि सेटिल्मेन्ट की गलती का पता सर्व प्रथम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.12.2011 को हुआ कतई गलत है।

जबाव दावा के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 5 गलत है। वादीगण को बखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 10.12.2011 को कोई विनाय दावा पैदा नहीं हुई । दावा म्याद बाहर पेश किया है।

जबाव दावा के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। श्रीमानजी को दावा हाजा सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है।

जबाव दावा के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 7 कानूनी है, मोहताज जबाव नहीं ।

जबाव दावा के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 8 कानूनी है, मोहताज जबाव नहीं ।

जबाव दावा के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 9 गलत है, स्वीकार नहीं है। दावा हाजा अन्दर अवधि पेश नहीं किया गया है।

जबाव दावा के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 10 गलत है, स्वीकार नहीं है। दावा हाजा अरजेन्ट नेचर का नहीं है। वादीगण ने धारा 80 जा.दी. का कोई नोटिस नहीं दिया है इसी बिना पर दावा वादीगण काबिले इखराज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव दावा के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 11 के उपमद क, ख गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादीगण अपने नाम 1 बीघा या अन्य किसी रकबे का अपने नाम खातेदारी कराने के मुश्तहक नहीं है क्योंकि उक्त जमीन सरकारी चरागाह जमीन है।

अतः जबाव दावा पेशकर निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं हर्जा खास प्रतिवादी को वादीगण से दिलाया जावे।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं. 2064–67 प्रदर्श–2, 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1989 उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रदर्श–5,पेश किये है तथा जुवानी सहादत में वादी देवीसिंह ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं. 2064–67 प्रदर्श–2 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 0.20 है0, 462 रकबा 0.31 है0, 463 रकबा 0.39 है0, 464 रकबा 0.35 है0, 465 रकबा 0.52 है0, 556 रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 है0 वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीसिंह, परवत, तीर्थ पिसरान अजीराम जाति जाट हि0 2/3, अजीराम पुत्र आराम हि0 1/3 जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं. 2064–67 प्रदर्श–3 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 21.62 है0 किस्म गै0मु0 बेहड वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन की खातेदारी सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 168/1 मिन रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन का नवीन खसरा नम्बर 406 रकबा 22.60 है0, 168/12 मिन से हाल खसरा नम्बर 674 रकबा 0.24 है0, 168/4 मिन रकबा 1 बीघा से हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.20 है0 वाके ग्रम पौंछडी तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

असल आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1989 उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रदर्श–5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 168 वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन में से रकबा 01 बीघा भूमि का आवंटन देवीसिंह, परवतसिंह पिसरान अजीराम जाति जाट निवासी पौंछडी तहसील हिण्डौन के हक में किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 168 वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन में से रकबा 01 बीघा भूमि का आवंटन देवीसिंह, परवतसिंह पिसरान अजीराम जाति जाट निवासी पौंछडी तहसील हिण्डौन के हक में दिनांक 09.06.1989 को ग्राम मोठियापुर में उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा किया गया था। किन्तु उक्त आवंटन आदेश के आधार पर उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी आवंटन होने के पश्चात आवंटियों के नाम राजस्व रिकार्ड में तब्दील क्यों नहीं हुई इस सम्बन्ध में वादीगण ने ना तो अपने वाद पत्र में कोई खुलासा किया है और ना ही राजस्व रिकार्ड पेश किया है। उक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 168 ग्राम पौंछडी की किस्म आवंटन के समय बारानी 3 थी, इस सम्बन्ध में भी कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है, जबकि राजस्व नियमों के अनुसार जिस भूमि की किस्म गै0मु0 वेहड दर्ज है उस भूमि का आवंटन किसी भी व्यक्ति के हक में नहीं किया जा सकता है। वादीगण के द्वारा उक्त दावा लगभग 21 वर्ष बाद पेश किया है, जो कि कानूनन मियाद बाहर भी है। वादीगण को आवंटन साबिक खसरा नम्बर 168 में से किया गया है, जबकि वादीगण ने जो मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है वह साबिक खसरा नम्बर 168/1 मिन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा, 168/12 मिन से हाल खसरा नम्बर 674 रकबा 0.24 है0, 168/4 मिन रकबा 1 बीघा से हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.20 है0 वाके ग्रम पौंछडी तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं। इस प्रकार साबिक खसरा नं0 168/4 मिन रकबा 1 बीघा से हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.20 है0 वाके ग्रम पौंछडी तहसील हिण्डौन कायम किया गया है। उसकी खातेदारी जमाबन्दी सं0 2064–67 में वादीगण एवं उनके भाई तीर्थ, एवं अजीराम पुत्र आराम जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी यह अंकित नहीं किया है कि खसरा नम्बर 461 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन की खातेदारी उनके नाम किस आधार पर दर्ज हुई है। इस प्रकार वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आये हैं। वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 21.62 है0 किस्म गै0मु0 बेहड वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन में से रकबा 0.25 है0 भूमि की खातेदारी अपने हक में कराने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक विवादित आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 21.62 है0 किस्म गै0मु0 बेहड वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)